(3)

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 10 अ–82 / 16–17 / केलापुर / 8265 बैतूल दिनांक 6 – 7 –2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	केलापुर	0.867	उप मुख्य अभियन्ता मध्यरेल्वे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी	ईटारसी –नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	कुल अर्जित रकबा हें0 में
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ व. रतन, निवासी भैसदेही	95	0.421	0.122
2	रतन व. छोटेलाल, निवासी केलापुर	96	0.704	0.152
3	भूरू व. शिवबक्स, निवासी खेडली	97 / 1	1.032	0.143
4	जशोदा जौ. सुखनंदन, निवासी भैसदेही	97 / 2	0.405	0.109
5	मल्लू व. नौकेलाल, निवासी उमरी	98 / 1	0.479	0.132
6	शिवदयाल व. नौकेलाल, निवासी उमरी	98 / 3	0.971	0.048
7	सुगन्ती बेवा मुन्शी, परसराम, सुखदेव, वासुदेव व. मुन्शी, विमला, गंगा, जमना, रामबाई, श्यामबाई पिता मुन्शी, निवासी उमरी जागीर	99	1.536	0.161
	योग			0.867

1– चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पत्र जारी किए गए।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट **www. betul.nic.in** पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

6/7/19

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग